दिनाक 8 नवंबर 2010 को 11 बजे एफ डी ए भवन, नई दिल्ली में इसके मुख्यालय में आयोजित एफ एस एस ए आई की छठी बैठक का कार्यवृत्त

श्री पी आई सुवरथन, अध्यक्ष, ने खाद्य प्राधिकरण की छठी बैठक के लिए सभी सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत किया। बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक–1 में है। श्रीमती उपमा चौधरी, श्री संजय सिंह, डा. यू वेंकटेश्वरुलु, श्री अरूण पांडा, सुश्री मोना मल्होत्रा चोपड़ा, सुश्री वसुंधरा प्रमोद देवधर, डा. एस गिरिजा, डा. एन एन वार्ष्णेय, डा. (सुश्री) इंदिरा चक्रवर्ती, डा. (श्रीमती) टी.ए. कादरभाई, श्री कलिंग तायेंग, डा. एस के पॉल, और श्री गिब्सन जी वेदमणि को अनुपस्थिति के लिए छुट्टी प्रदान की गयी जो बैठक में भाग नहीं ले सके।

श्री शिव नारायण साहू खाद्य प्राधिकरण में नए सदस्य के रूप में शपथ ली। कार्यवाही के शुरू होने से पहले, बैठक में सभी मौजूद सदस्यों ने बैठक में विचार किया जाने वाले कार्यसूची मद के संबंध मे "हित के लिए विशिष्ट घोषणा" पर हस्ताक्षर किए।

मद संख्या 1 : 29 जून 2010 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

29 जून 2010 को आयोजित खाद्य प्राधिकरण की पांचवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

मद संख्या 2 : एफ एस एस ए आई के लिए प्रशिक्षण नीति

एफएसएस अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अध्यक्ष ने, एफ एस एस ए आई के लिए एक उचित डिजाइन प्रशिक्षण नीति की जरूरत पर सविस्तार वर्णन किया और यह सूचित किया कि वर्तमान में मसौदा प्रारंभिक चरण में है और ठीक प्रशिक्षण नीति को अंतिम रूप देने के लिए हितधारकों से फीडबैक के आधार पर इसको सुधारा जायेगा। चर्चा के दौरान निम्नलिखित अवलोकन आये थे:

- मानव संसाधन पेशेवरों की मदद को ध्यान में रखना एक अच्छा विचार है। हालांकि पाठ्यक्रम का विकास मुख्य घटक है और पाठ्यक्रम पर कार्य करने के लिए एफ एस एस ए आई में एक समूह को गठित किया जाना चाहिए।
- पाठ्यक्रम केन्द्रीय विकसित और एकरूपता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शुरू होना चाहिए।
- प्रशिक्षण नीति में साइट पर प्रशिक्षण और हाथों के अनुभव को प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।
- यह सोचने का विषय था कि प्रशिक्षण का उद्देश्य खो जाता है जब प्रशिक्षित कर्मी को किसी अन्य विभाग में स्थानांतरित किया जाता है। राज्य सरकारों को प्रशिक्षण के लिए कर्मचारियों की पहचान करने का प्रयास करना चाहिए जो दीर्घकालिक आधार पर खाद्य संरक्षा में शामिल हो सके या इस तरह के खाद्य संरक्षा प्रशिक्षित कर्मियों और उनके कार्यकाल के स्थानांतरण के संबंध में एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए।
- प्रशिक्षण में निरंतरता होनी चाहिए। खाद्य क्षेत्र में तेजी से विकास को ध्यान में रखते हुए, हर 5 साल बाद एफएसओ के लिए एक महीने का सेवा में रहते हुए अनिवार्य प्रशिक्षण अपर्याप्त लगता है। एफएसओ को हर साल अनिवार्य पुनश्चर्या पाठ्यक्रम दिया जाना चाहिए।

- राज्यों में निर्णय देने वाला अधिकारियों के प्रशिक्षण को एफ एस एस ए आई द्वारा केन्द्रीय समन्वित किया जाना चाहिए ताकि पाठ्यक्रम और कौशल देश भर में एक समान हैं।

यह सहमति बनी थी कि एफ एस एस ए आई, दस्तावेजों की समीक्षा, वेबसाइट पर डालने और जब प्रशिक्षण नीति अंतिम रूप में हो तब प्राधिकरण के समक्ष फिर से ला सकने के संबंध में आगे की कार्रवाई कर सकता है।

मद संख्या 3: भारत में खाद्य संरक्षा प्रबंधन प्रणाली – प्रस्तावित ढांचा और संबंधित दस्तावेज

अध्यक्ष ने समझाया कि एफबीओ पर खाद्य संरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी और आत्म अनुपालन के अधिनियम द्वारा अत्याधिक ध्यान रखना है, खाद्य संरक्षा आवश्यकताओं पर विस्तृत मार्गदर्शन दस्तावेजों की जगह एक खाद्य संरक्षा प्रणाली की जरूरत है, जो एफबीओ को आवश्यकताओं के लिए खुद का आकलन करने में सक्षम बनाएगा और कर्मठता के कारण साक्ष्य बनाए रखेगा जिसकी समय–समय पर निरीक्षण के माध्यम से जाँच की जा सकती है।

चर्चा के दौरान निम्नलिखित बातें सामने आई :

- यह सुझाव था कि लाइसेंसिंग नियमों की अनुसूची 4 में एक व्याख्यात्मक नोट होना चाहिए कि यह आवश्यकताएं नई इकाइयों के लिए अनिवार्य होगी लेकिन इसको स्थानीय परिस्थितियों और व्यवहार्यता को देखते हुए लागू किए जाने की आवश्यकता है। अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए अलग से निरीक्षण और मार्गदर्शन दस्तावेजों के लिए एक चेकलिस्ट विकसित करने की आवश्यकता है।
- जहाँ तक संभव हो दस्तावेजों को कोडेक्स पैटर्न के साथ पंक्तिबद्ध किया जा सकता है।
- यह एक सोच थी कि एफबीओ द्वारा सर्वोत्तम अभ्यास को मान्यता दी जाने की जरूरत है। खाद्य प्रतिष्ठानों की ग्रेडिंग के लिए मॉड्यूल एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
- एक वातावरण बनाने के लिए एक आवश्यकता है जहाँ उद्योग, उनके उत्पादों के सुरक्षा परीक्षण के महत्व को अपने से पहचाने। हालांकि, खाद्य विक्रेताओं/ व्यापारियों की पहुँच प्रयोगशालाओं तक है और त्वरित परीक्षण किट महत्वपूर्ण होने जा रही है। छोटे एफबीओ की क्लस्टरिंग एक विकल्प है जिसकी पहुंच उस क्षेत्र में लैब तक हो सकती है।

सदस्यों ने एफ एस एस ए आई द्वारा रूपरेखा और दृष्टिकोण के सुझाव की सराहना की और यह सहमति बनी थी कि एफ एस एस ए आई, दस्तावेजों की समीक्षा, वेबसाइट पर डालने और जब दस्तावेज अंतिम रूप में हो तब प्राधिकरण के समक्ष फिर से ला सकने के संबंध में आगे की कार्रवाई कर सकता है।

मद संख्या 4: खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं उन्नयन एवं प्रत्यायन प्रणाली – प्रस्तावित रूपरेखा

सदस्यों ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ देश में प्रयोगशाला के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए एफ एस एस ए आई द्वारा प्रस्तावित रणनीति और रूपरेखा की सराहना की।

- अंतरराष्ट्रीय अनुभव के साथ बड़े और अच्छी तरह से स्थापित खाद्य प्रयोगशालाओं के प्रतिनिधियों में से कुछ को इस विषय पर प्रस्तावित संचालन समिति में शामिल किया जा सकता है।
- यह चिंता का विषय था कि प्रयोगशालाओं के नियामक कार्य प्रयोगशालाओं के लिए अंतरिम / एंट्री स्तर के मानक पर उचित विचार नहीं कर सकता है और जब प्रयोगशालाएं उम्मीदों जैसी नहीं हैं (जैसे कि एनएबीएल से मान्यता प्राप्त), तब उनके परिणामों के आधार पर अभियोजन पक्ष शुरू करने की जरूरत है।
- सी ई ओ ने कि स्पष्ट किया कि एफ एस एस ए आई से मान्यता प्राप्त मानक ही अंतरिम / एंट्री स्तर मानक है। सभी राज्य पीएफए प्रयोगशालाओं को धारा 43 (1) के तहत अधिसूचना के लिए पात्र होने के लिए एक निश्चित समय सीमा में एफ एस एस ए आई मानक की आवश्यकताओं के अनुसार खुद को अपग्रेड करने की जरूरत है। इसके अलावा, खाद्य संरक्षा से जुडे एनएबीएल मापदंडों की समीक्षा करने की जरूरत है। हमें व्यापक दृ ष्टिकोण लेने की जरूरत है और सार्वजनिक क्षेत्र की प्रयोगशालाओं की क्षमता के निर्माण के साथ परीक्षण के लिए निजी प्रयोगशालाओं पर विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। बदलाव की अवधि इसलिए आवश्यक है।
- प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण शुल्क के लिए शुल्क में एकरूपता के मुद्दे पर भी चर्चा की गई थी और इस पहलू पर विचार भिन्न थे। परीक्षण शुल्क पर कोई सीमा उपयुक्त नहीं हो सकती। अनिवार्य गुणवत्ता मानकों के साथ फिक्सिंग दरों के मामले में प्रयोगशालाओं के बीच प्रबल प्रतियोगिता किए जाने का एक अन्य विकल्प हो सकता है। यह स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में पीएफए नियम के अनुसार परीक्षण शुल्क 3000/– प्रति नमूना है।
- प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण के लिए तरीकों को देश भर में एक समान होना चाहिए। यह स्पष्ट किया गया था कि डीजीएचएस पुस्तिका प्रयोगशालाओं में अनुसरण की जा रही है। हालांकि, इसे नई तकनीक आदि के साथ तय समय में अद्यतन करने की समीक्षा की जाएगी।
- पब्लिक विश्लेषकों की कमी के बारे में भी मुद्दा उठाया गया था। एफ एस एस ए आई ने राज्यों में खाद्य प्रयोगशालाओं के उन्नयन, विश्लेषकों के लिए पाठ्यक्रम की समीक्षा और उनकी उपलब्धता को बढ़ाने के लिए उठाये गए कदमों के लिए एफएससी के एक समूह को इस रणनीति पर गौर करने के गठित करने का प्रस्ताव रखा। इस बीच एफ एस एस ए आई नवंबर, 2010 में पब्लिक विश्लेषकों के लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन कर रहा है।

यह सहमति बनी थी कि एफ एस एस ए आई, दस्तावेजों की समीक्षा, वेबसाइट पर डालने और जब दस्तावेज अंतिम रूप में हो तब प्राधिकरण के समक्ष फिर से ला सकने के संबंध में आगे की कार्रवाई कर सकता है।

मद संख्या 5: उपभोक्ता खाद्य संरक्षा योजना/अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धी अनुदान

श्री बेजोन मिश्रा ने सितंबर, 2010 के दौरान दो विशेषज्ञों को भेजने और बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी साहित्य उपलब्ध कराने से उत्तर प्रदेश में आयोजित उपभोक्ता कार्यक्रमों में एफ एस एस ए आई की भागीदारी को स्वीकार किया। यह भी सुझाव दिया गया था कि महत्वपूर्ण खाद्य संरक्षा संदेशों को छोटे पोस्टर पर भी विकसित किया जाना चाहिए। चर्चा के दौरान प्रस्तावित योजना पर निम्नलिखित बाते सामने आई :

- राज्य सरकार के माध्यम से आवेदन रूटिंग योजना के सार को खत्म कर सकता है। गैर सरकारी संगठनों का सत्यापन उन संगठनों की प्रभावशीलता और प्रदर्शित की गई गतिविधियों के उचित दस्तावेज पर समुदाय से प्रतिक्रिया आने की जरूरत है।
- एफ एस एस ए आई को सत्यापन के लिए अपने स्वयं के आंतरिक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता हो सकती है और ट्राई और गैस अथॉरिटी से सीख ली
- जा सकती है जिनके पास अपने गैर सरकारी संगठनों की पंजीकृत सूची जिनको परामर्श के लिए एक वर्ष में तीन बार बुलाया जाता है।
- धनराशि देने की बजाय एफ एस एस ए आई जहां भी संभव हो तकनीकी सहायता प्रदान कर सकता है ।
- यह सुझाव दिया गया था कि अनिवार्य रूप से राज्य सरकार के माध्यम से आने की बजाय, आवेदन एक खुली प्रणाली के माध्यम से लिए जाने चाहिए और रुचि संगठन एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से आ सकते है। कोई अग्रिम नहीं दिया जाना चाहिए और संगठन से पहली इक्विटी आने दो। अंतिम राशि लक्ष्य समूह से प्रकाशित रिपोर्ट और प्रतिक्रिया के बाद वितरित किया जाना चाहिए। संगठन जारी किए हुए पैसे के समुचित उपयोग के लिए जिम्मेदार होना चाहिए।
- यद्यपि वित्तीय सहायता पर अधिकतम सीमा होने के अपने स्वयं के लाभ है, यह भी सुझाव दिया गया था कि सीमाएँ परियोजना की उपयोगिता, मकसद, उद्देश्य और रचनात्मकता पर निर्भर हो सकता है। यह सी ई ओ, एफ एस एस ए आई से संबंधित था कि अध्ययन / सर्वेक्षण / कार्यशाला प्रकार की योजनाओं के काम के पूरा होने के बाद भुगतान देने का सुझाव अनुरूप हो सकता है लेकिन अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के मामले में यह काम नहीं किया जा सकता है क्योंकि सक्षम संस्थाओं और शोधकर्ताओं को पहचानने और प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रित कार्यक्रम के माध्यम से लिए जाने की जरूरत है।

यह निर्णय लिया गया कि सुझावों और संचालन के आधार पर योजना को एफ एस एस ए आई द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

मद संख्या 6 : उत्कृष्टता केंद्र और खाद्य संरक्षा केंद्र के लिए योजना

सदस्यों ने विचार की सराहना की और कहा कि समन्वय सफलता की कुंजी होगी और परियोजना के लिए समय सीमा को छोटा करने की आवश्यकता है। प्राधिकरण सहमत था कि एफ एस एस ए आई योजना को वेबसाइट पर डालने और टिप्पणियां आमंत्रित करने के बाद इसके संचालन के लिए आगे की कार्रवाई कर सकती है।

मद संख्या 7 : विशेष पोषण या आहार उपयोगों के लिए खाद्य पर नियमों का मसौदा

खाद्य प्राधिकरण ने नियमों के मसौदे पर विचार किया और चर्चा के दौरान निम्नलिखित टिप्पणियां की :

- अनुशंसित दैनिक भत्ता (क्षेत्र वार) की नई सूची उपलब्ध है और इसे शामिल किए जाने की जरूरत है।
- "काफी सुरक्षित" को स्पष्ट किये जाने की जरूरत है।

- प्रत्येक वर्ग के उत्पाद के लिए, जो लाइसेंस देगा यानी राज्य या केंद्र को निर्णय लिए जाने की जरूरत है।
- इस तरह के उत्पादों के लिए लेबलिंग प्रावधानों, जैसे लेबल की दृश्यता, फॉन्ट और फॉन्ट आकार आदि स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।
- राज्यों में इस तरह के उत्पादों के लाइसेंस देने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध है और ऐसे कई नए उत्पादों को लाइसेंस दिये जाने के आधार पर केंद्र में मांग की जाँच की जा सकती है।
- उन उत्पादों का क्या होता है जो बाजार में उपलब्ध हैं ? घटिया भोजन की बहुत सी मात्रा बाजार में होने की सूचना है। इनको भी नियमों के दायरे में लाया जाना चाहिए
- "सुरक्षित उपयोग के इतिहास" को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की जरूरत है। कितनी अवधि का समय ठीक होगा और किस प्रकार का अध्ययन पर्याप्त माना जा सकता है?
- अच्छे फूड्स से संबंधित प्रावधानों को पुनः प्रारूपित किए जाने की आवश्यकता है। किस मामलों में पूर्व–बाजार अनुमोदन की आवश्यकता नहीं हैं?
- अनुबंध में यह स्पष्ट नहीं किया है कि कितने मानकों का पीएफए में उल्लेख नहीं हैं जहाँ कोडेक्स मानकों को अपनाना हैं।
- इस तरह के खाद्य उत्पादों की सामग्री के संदर्भ में, सब कुछ तय करने के लिए निर्माता पर छोड़ देने जरूरत नहीं है। सुरक्षा के आधार पर स्पष्ट वर्गीकरण की आवश्यकता है।
- विभिन्न प्रावधानों को अंतिम रूप देने के लिए व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता होगी।

खाद्य प्राधिकरण ने महसूस किया है कि एफ एस एस ए आई को नियमन मसौदे की समीक्षा करने, संबंधित वैज्ञानिक पैनल तक ले जाने और फिर वैज्ञानिक समिति तक और विनियमन को अंतिम रूप देने के लिए व्यापक परामर्श प्रक्रिया करने की जरूरत है।

मद संख्या 8 : मानकों को बनाने / संशोधन के लिए रणनीति

खाद्य प्राधिकरण ने टिप्पणी देते हुए दस्तावेज को देखा और मंजूरी दी कि यह एक उत्कृष्ट दस्तावेज है विशेष रूप से एफ एस एस ए आई द्वारा मानक को बनाने / संशोधन के लिए समय सीमा।

मद संख्या 9 : ऊर्जा पेय, जैतून का तेल और ट्रांस फैटी एसिड के लिए मानक

चर्चा के दौरान निम्नलिखित बातें सामने आईं:

- उद्योग प्रतिनिधि की राय थी कि सभी ऊर्जा पेय को कैफीनयुक्त पेय पदार्थ के तहत डाल देना तर्कसंगत नहीं हो सकता है।
- 'ऊर्जा' शब्द उपभोक्ताओं को गुमराह कर रहा है। उपभोक्ता के हित में कैफीनयुक्त पेय पदार्थों के लिए मानकों की सख्त आवश्यकता है।
- यह भी उल्लेख किया गया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दो राज्यों में कैफीनयुक्त पेय पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है।
- टीएफए के मानकों के संदर्भ में, यह सुझाव दिया गया था कि जब हम मानक बनाते है, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनको माना जा रहा है और हमें उन मानकों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो हमारे स्वदेशी तेल बीज की फसलों को प्रोत्साहित करते हैं।

जैतून तेल के मानकों की 02.11.2010 को वैज्ञानिक समिति की बैठक के दौरान चर्चा नहीं की गई थी और एफ एस एस ए आई के कहने पर इसको वापस ले लिया गया था। खाद्य प्राधिकरण ने एफ एस एस ए आई को वैज्ञानिक समिति की सिफारिशों के अनुसार एनर्जी ड्रिंक के मामले में आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए माना औए अधिकृत किया। वैज्ञानिक समिति की सिफारिशो के अनुसार टीएफए के मानक मसौदा को एफ एस एस ए आई द्वारा आगे की कार्रवाई करने के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था।

मद संख्या 10 : अध्यक्ष के अनुमोदन के साथ कोई अन्य मद

- यह सुझाव दिया गया था कि जब भी एफ एस एस ए आई में कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार है, यदि संभव हो तो, दस्तावेज के अध्ययन के लिए पर्याप्त समय देने के लिए बैठक के एजेंडे का इंतजार किए बिना सदस्यों के लिए भेजा जा सकता है। यह स्पष्ट किया गया कि प्राधिकरण समिति बनाने का अंतिम निर्णय ले रहा है जो जहाँ भी आवश्यक हो, वैज्ञानिक पैनल / वैज्ञानिक समिति और अन्य हितधारकों के परामर्श के साथ मसौदा को अंतिम रूप देने के बाद देखेगी। हालांकि, दस्तावेजों को जितनी जल्दी हो सके प्रसारित करने का प्रयास होगा। जब भी एफ एस एस ए आई की जानकारी को मानना आवश्यक होगा, यहां तक कि ड्राफ्ट के स्तर पर भी, ऐसे दस्तावेजों को चर्चा के लिए लाया जा सकता है।
- एफ एस एस ए आई के कार्य की प्राथमिकता के बारे में, यह उल्लेख किया गया था कि
- फ्रेमवर्क के नतीजों के दस्तावेज जो एफ एस एस ए आई की प्राथमिकता पर प्रकाश डाल रहे है, पहले से ही वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- नए दस्तावेज को अपलोड करने के संबंध में वेब मास्टर चेतावनी सेवा
- वेबसाइट पर आरंभ की जा सकती है।
- यह सुझाव दिया गया था कि एजेंडे की हार्ड कॉपी पोस्ट से भेजने की की बजाय, इसको वेबसाइट पर पोस्ट किया जा सकता है और हार्ड कॉपी को बैठक के दौरान उपलब्ध कराया जा सकता है।
- खाद्य प्राधिकरण ने भारतीय जैव प्रौद्योगिकी नियामक प्राधिकरण बिल, 2010 के मसौदे का जायजा लिया और बीआरएआई और एफ एस एस ए आई के दायरे के बारे में प्राधिकरण सचिवालय द्वारा लिए गये निर्णय को अनुमोदित किया।

धन्यवाद ज्ञापनः अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन देते हुए बैठक समाप्त हुई।

अनुलग्नक–I

दिनांक 8 नवंबर 2010 को 11 बजे एफ डी ए भवन, नई दिल्ली में इसके मुख्यालय में आयोजित खाद्य प्राधिकरण की छठी बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे।

खाद्य प्राधिकरण के सदस्यः

1. श्री पी. आई. सुवरथन, अध्यक्ष
2. श्री वी.एन. गौड़, सदस्य–सचिव
3. सुश्री इंद्राणी कर
4. श्री एम.पी. सिंह
5. डा पी. सुचरिथा मूर्ति
6. श्री जी. नारायण राजू
7. श्री बिजोन मिश्रा
8. श्री वी. बालासुब्रामणियम
9. श्री राजन गुप्ता
10. श्री शिव नारायण साहू
11. श्री अजित बी. चवण (श्री सिद्धार्थ सिंह के स्थान पर)